पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

क्रमांक एफ TD/2/0002/2025/तैंतीस:- मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 05 दिनांक 11 फरवरी 2025 के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 के साथ परिशिष्ट – दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश पर्यटन नीति, 2025" का अनुमोदन किया जावे।

विभागीय प्रस्ताव में पर्यटन नीति-2025 के अंतर्गत जहां-जहां "न्यूनतम अनुमत्य पूंजीगत व्यय" आया है उसे "न्यूनतम मान्य पूंजीगत व्यय" पढा जावे।

प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद निर्णय के पालन में "मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025" विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 के साथ परिशिष्ट – दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025" की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.

"परिशिष्ट-दो"

<u>पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2025</u>

1. दृष्टि वक्तव्य (Vision Statement)

"संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो, रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बन सके"

2. सिद्धांत -

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही बिन्दु (Points of Action) मुख्यतः निम्न सिद्धांतों (Principles) पर आधारित हैं :-

2.1 ऐसी संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना, जिससे शासन द्वारा निर्धारित दिशा में निजी निवेश प्रोत्साहित हो।

2.2 समेकित पर्यटन (sustainable tourism) के लिये प्रभावी नियामक प्रक्रिया की स्थापना हो ।

2.3 पर्यटक स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, संरचना तथा सफाई के लिये सभी उपाय किये जायें।

2.4 धरोहरों का संरक्षण एवं पर्यटन में उपयोग किया जाये ।

2.5 ईको पर्यटन (Eco Tourism) आम-जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का कारक बने।

2.6 शासकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, समुदाय तथा पर्यटन उद्योग के हितधारी पक्षों के मध्य समन्वित सक्रिय भागीदारी स्थापित हो।

2.7 पर्यटन क्षेत्र में पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप पर आधारित पर्यटक परियोजनाओं का समुचित विकास हो ।

2.8 नीति प्रभावशीलता अवधि- संशोधन उपरांत नीति की प्रभावशीलता नीति जारी होने के दिनांक से प्रथमतः पॉच वर्ष की अवधि तक रहेगी तथा इस अवधि में प्रारंभ/स्थापित (उत्पादन प्रारंभ/विस्तार) पर्यटन परियोजनाओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ/ छूट/ रियायतें प्राप्त करने की पात्रता होगी । यथा आवश्यकता प्रभावशीलता में शासन द्वारा आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी ।

3. रणनीति-

उपर्युक्त सिध्दांतों तथा पर्यटन दृष्टि-वक्तव्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये रणनीति (Strategy) निम्नानुसार होगी -

3.1 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया को स्थापित किया जायेगा ।

3.2 गन्तव्य के विपणन के लिये अपेक्षित अनुसंधान तथा डाटा-बेस तैयार किया जायेगा ।

3.3 पर्यटन के क्षेत्र में प्रमाणिक सांख्यिकीय डाटा-बेस तैयार करने तथा पर्यटकों से फीडबैक प्राप्त कर व्यवस्थागत सुधार की दृष्टि से युक्तियुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी ।

3.4 अधोसंरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, परिवहन तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का निरंतर संधारण तथा प्रोन्नयन किया जायेगा ।

3.5 स्थानीय निकायों को पर्यटन के प्रति संवेदशील बनाकर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।

3.6 मेले, स्थानीय व्यंजन/खानपान, संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य, वेशभूषा, उत्पाद, कला, हस्तकला तथा विरासत के प्रदर्शन एवं मार्केटिंग के लिये ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जायेगा । इन गतिविधियों के लिए पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों को प्रेरित किया जाएगा ।

3.7 ईको पर्यटन के गन्तव्यों में प्राकृतिक संसाधनों एवं सौन्दर्य की सुरक्षा तथा संरक्षण का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा।

3.8 आध्यात्मिक पर्यटन के लिये चिन्हित स्थानों के विकास की समग्र योजना तैयार की जायेगी ।

3.9 वृहद जलाशयों पर पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जायेगा ।

3.10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के विभिन्न शहरों को सड़क मार्ग (बस सेवा) तथा वायु सेवा से जोड़ने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.11 स्थानीय प्रशासन के सहयोग तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण से साहसिक पर्यटन के लिये आवश्यक व्यवस्थायें स्थापित की जायेगी।

3.12 पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों में नियोजित मानव संसाधन का ऐसा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रदेश की पर्यटन अनुकूल (Tourism friendly) छवि बन सके एवं युवाओ को रोजगार के अवसर भी मिल सकें।

3.13 निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त स्थल चयन कर लैण्ड बैंक को (Land Bank) निरंतर बढ़ाया जायेगा।

3.14 प्रदेश मे पर्यटकों को पर्याप्त एव स्तरीय आवास सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य से स्टेंडर्ड (Standard) एवं डीलक्स (Deluxe) श्रेणी के होटलों की निजी निवेश से स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.15 शासन के अन्य सुसंगत विभागों की कार्य योजना में "पर्यटन योजना" को सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.16 निजी निवेश से हेरिटेज होटल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये अनुदान/ रियायतें दी जायेगी ।

3.17 MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश मे निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.18 प्रदेश में होटल रिसोर्ट सहित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओ की स्थापना हेतु अनुदान/ रियायतें उपलब्ध करायी जायेगी।

3.19 विशेष महत्व के एवं उपयुक्त नवीन पर्यटन गन्तव्यों का विकास किया जायेगा तथा दूरस्थ एवं दुर्गम स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष छूट एवं सुविधायें दी जायेंगी ।

3.20 मेडिकल टूरिज्म, डेस्टीनेशन वेडिंग टूरिज्म एवं ग्रामीण /कृषि /ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

3.21 पर्यटन विभाग के दूरस्थ लैंड बैंकों एवं अधोसंरचनाविहीन भूमियों, वाटर बॉडीज एवं हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर मूलभूत अधोसंरचनाओं का विकास किया जायेगा ।

3.22 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सिंगल विंडो एजेंसी बनाया जायेगा जो निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्रदान कराने/नवीनीकरण कराने का कार्य करेगा । निवेशकों को उपरोक्तानुसार अनुमति/अनापत्ति दिलाने/नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिशः अनुसरण (Hand holding) प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

3.23 पर्यटन परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये अन्य विभागों के समन्वय से Ease of doing business की अवधारणा को अमल में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

3.24 हेरिटेज पर्यटन परियोजनाओं का प्रमाणीकरण पर्यटन विभाग द्वारा करने के संबंध में नियम एवं प्रक्रिया बनायी जायेगी तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर हेरिटेज होटल/नीति की कंडिका 6 में वर्णित पर्यटन परियोजनाओं को नीति में प्रावधित छूट/सुविधायें प्रदाय की जायेगी ।

3.25 रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के सृजन एवं समग्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिएं "ग्राम स्टे", "फार्म स्टे" एवं "बेड एण्ड ब्रेकफास्ट" इकाईयों की स्थापना को नीति बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा । पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों तथा पंजीकृत स्व-सहायता समूहों को ग्राम स्टे स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

3.26 पर्यटक स्थलों को नि:शक्तजनों हेतु भ्रमण सुगम बनाया जायेगा।

3.27 होटल/रिसोर्ट/वृहद पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना में बड़े ब्रांड्स को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व संबंधितों (Stakeholders) से परामर्श कर पृथक नीति बनाई जाएगी ।

4. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड /मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम-

प्रदेश में पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिये मैदानी स्तर पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड/ मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड/ निगम की भूमिका निम्नानुसार होगी :-

4.1 बोर्ड, पर्यटन सेवायें प्रदान करते हुये संपूर्ण प्रदेश में निजी निवेश से पर्यटन सेवाओं की स्थापना, विस्तार एवं विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

4.2 निगम, यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौप सकेगा।

4.3 पर्यटन उद्योग से जुडे हितधारियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुये पर्यटन संवर्धन, प्रबंधन एवं संचालन संबंधी समस्या समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेगें।

4.4 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जायेगी तथा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त कर निवेशकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.5 निगम, यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों का विस्तार करेगा एवं प्राप्त लाभ से नवीन क्षेत्रों का विकास करेगा।

4.6 प्रदेश में सत्कार प्रशिक्षण, फूड क्राफ्ट, पर्यटन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों यथा मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड केटरिग टेक्नोलॉजी आदि का यथा आवश्यक विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जायेगा ।

4.7 भारत शासन, राज्य शासन एवं वितीय संस्थाओं से पर्यटन परियोजनाओं के लिये ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु समस्त कार्यवाही करेगा ।

4.8 पर्यटन क्षेत्र मे निजी निवेश को आकर्षित करने, इन्वेस्टर्स फेसिलीटेशन, निवेशको को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पर्यटन परियोनाओं के आकल्पन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभाग द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में एक पृथक प्रभाग "निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग" (Investment Promotion and Planning Division) का गठन किया जायेगा। इस प्रभाग हेतु विधिवत सेटअप का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रभाग मे सेटअप अनुसार आवश्यक मानव संसाधन बोर्ड द्वारा पदस्थापित किये जायेंगे। इस प्रभाग को कार्यशील रखने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन शासन द्वारा बोर्ड को पृथक से उपलब्ध करायें जायेंगे ।

5. पर्यटन परियोजनायें -

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधायें/छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यटन परियोजना माना जायेगा। परियोजनाओं की परिभाषा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अथवा पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

5.1 होटल (स्टार, डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी)

5.2 हेल्थ फार्मस्/ रिसोर्ट/हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्टस्

5.3 रिसोर्ट, केम्पिंग साइट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां

5.4 मोटल एवं वेसाइड एमेनिटीज

5.5 हेरिटेज होटल

5.6 कन्वेंशन सेन्टर (MICE)

5.7 म्यूजियम/ एक्वेरियम/ थीम पार्कस्

5.8 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे इकाई

5.9 गोल्फ कोर्स

5.10 रोप-वे (Ropeway)

5.11 वाटर पार्क और वाटर स्पोर्टस

5.12 एम्यूजमेंट पार्क

5.13 केरेवॉन टूरिज्म

5.14 क्रूज टूरिज्म

5.15 हॉउस बोट

5.16 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना

5.17 एडवेन्चर स्पोर्टस्

5.18 साउण्ड एण्ड लाइट शो/ लेजर शो

5.19 सी-प्लेन

5.20 एमफीबियन पर्यटन वाहन

5.21 एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर/एकेडमी

5.22 हेरिटेज कैफेटेरिया/ मोटल

5.23 वाईल्ड लाईफ रिसोर्टस

5.24 ग्राम स्टे/ फॉर्म स्टे

5.25 अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां जिन्हें केंद्र/राज्य शासन का पर्यटन विभाग अपनी नीति अंतर्गत अधिसूचित करे।

6. पर्यटन परियोजनाओं हेतु अनुदान-

इस पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि में स्थापित होकर प्रारंभ होने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार श्रेणीवार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी :-

क्र	अनुदान योजना	न्यूनतम अनुमत्य पूँजीगत व्यय (रुपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)	अन्य शर्तें
6.1	निजी स्वामित्व के हेरिटेज होटलों हेतु पूंजीगत अनुदान	300 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	
6.2	पर्यटन विभाग द्वारा लीज पर दी गई हेरिटेज सम्पत्तियों पर हेरिटेज होटल स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	
6.3	डीलक्स/ थ्री स्टार अथवा उच्च श्रेणी के नवीन होटल एवं रिसार्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	1000 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	किराये पर देने योग्य एयरकंडिशंड कक्षों की न्यूनतम संख्या 50 होना आवश्यक है।
6.4	स्टेण्डर्ड श्रेणी के नवीन होटल/मिनी रिसोर्ट की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	200 लाख	15 प्रतिशत	50 लाख	किराये पर देने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या होटल हेतु 25 एवं मिनी रिसॉर्ट हेतु 10 होना आवश्यक है।
6.5	नवीन रिसार्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद योग, नेचरोपेथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसार्ट) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	500 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	भारत/ राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/ मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है।

6.6	पूर्व स्थापित स्टार/ डीलक्स/ स्टेण्डर्ड श्रेणी के होटल/ रिसोर्ट/ हेरिटेज होटल के विस्तार पर पूंजीगत अनुदान ।	100 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	अनुदान हेतु पूर्व स्थापित इकाई में ऐसा विस्तार पात्र होगा, जिसमें आवासीय क्षमता पूर्वक्षमता से 50 प्रतिशत या अधिक बढ़ायी गयी हो।
6.7	MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) अंतर्गत 500 या अधिक सीट क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर/कन्वेंशन सेंटर सह होटल की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	2000 लाख	15 प्रतिशत	1000 लाख	यह आवश्यक होगा कि परियोजना की स्थापना कन्वेंशन सेंटर हेतु भारत शासन पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंडों/ मानकों के अनुरूप की गयी हो। अकेले मुख्य कन्वेंशन हॉल की सीट क्षमता 500 या अधिक होना आवश्यक है।
6.8	फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/ म्यूजियम, एक्वेरियम, थीम पार्क, स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	100 लाख	15 प्रतिशत	500 लाख	
6.9	एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, वॉटर स्पोर्ट्स, क्रूज/हाउस बोट, नौवहन अधोसंरचना, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, लाईट एंड साउंड शो/लेजर शो, कैम्पिंग गतिविधियों हेतु उपकरणों/टेंट की स्थापना/उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्थायी सुविधाओं एवं अधोसंरचनाओं का निर्माण	05 लाख	15 प्रतिशत	300 लाख	स्थाई सुविधा/ अधोसंरचना से आशय, प्लेटफॉर्म/ जेट्टी/ उपकरण/ पार्किंग साइट/ बिजली सुविधा/ जल प्रदाय/ टॉयलेट आदि जन-सुविधाओं से है।
6.10	ग्रीन फील्ड/फ्रेंचाइजी माडल पर मार्ग सुविधा केन्द्र (डब्ल्यू.एस.ए.) की स्थापना जिसमें स्थायी पूंजीगत व्यय रूपये 25 लाख से अधिक हो।	25 लाख	15 प्रतिशत	50 लाख	विभाग की मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 के अनुरूप निर्धारित स्थानों/ प्रबंध संचालक एम.पी टूरिज्म बोर्ड द्वारा मान्य स्थानों पर स्थापित एवं संचालित इकाईयों को पात्रता ।

6.11	पर्यटन विभाग से लीज पर ली गयी भूमि/ हेरिटेज परिसंपत्ति पर मूल अधोसंरचना यथा विद्युत प्रदाय, जलप्रदाय एवं सड़क सम्पर्क, सीवेज एवं जल मल निकासी अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु पूंजीगत अनुदान	50 लाख	25 प्रतिशत	300 लाख	
6.12	दुर्गम पर्यटन स्थलो/ वन पर्यटन क्षेत्रो मे परिवहन हेतु रोप-वे अधोसंरचना का निर्माण	100 लाख	40 प्रतिशत	500 लाख	
6.13	सी-प्लेन, एमफीबियन पर्यटक वाहन एवं एयरो स्पोर्टस व एयरो स्पोर्टस ट्रेनिंग सेन्टर/एकेडमी की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान	100 लाख	25 प्रतिशत	1000 लाख	एयरो स्पोर्टस एवं एयरो स्पोर्टस ट्रेनिग सेन्टर/ एकेडमी की स्थापना उपरान्त अनुदान, गतिविधि के एक वर्ष तक संचालन के उपरान्त दिया जाएगा । सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटक वाहन को स्वीकृत अनुदान राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा - • गतिविधि प्रारंभ होने पर अनुदान राशि का 40 प्रतिशत, तदुपरांत संचालन के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में स्वीकृत अनुदान राशि का 20% प्रत्येक वर्ष

उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित अन्य शर्तें एवं कंडिका क्रमांक 6.1 में हेरिटेज परिसंपति प्रमाणीकरण गाइडलाइन, प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण तथा समय-समय पर इनमें आवश्यक संशोधन हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

6.14 प्रदेश के लोगों को रोजगार -

प्रदेश में स्थापित होने वाली नवीन डीलक्स एवं स्टेण्डर्ड श्रेणी की होटल्स को पूंजीगत अनुदान पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रदेश के लोगों को होटल में प्रदाय कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार देना आवश्यक होगा।

6.15 वाईल्ड लाइफ रिसोर्ट हेतु विशेष अनुदान -

प्रदेश के अधिसूचित नेशनल पार्क, टाईगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य की सीमा में स्थापित होने वाले वाईल्ड लाइफ रिसोर्ट्स को पूंजीगत अनुदान की पात्रता के शर्तों के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट्स हेतु विशेष अनुदान

वन क्षेत्र की श्रेणी	वन क्षेत्र का नाम	न्यूनतम अनुमत्य पूँजीगत व्यय	न्यूनतम कक्षों की संख्या	पूंजीगत अनुदान	पूंजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा
अ	कान्हा, बांधवगढ़, पेंच टाईगर रिजर्व, रातापानी टाईगर रिजर्व एवं इनकी सीमाओं से लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य।	रू. 5.00 करोड़	10	20%	रू. 1.00 करोड़
ब	पन्ना एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व एवं इनकी सीमाओं से लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य	रू. 3.00 करोड़	07	20%	रू. 2.00 करोड़
स	संजय डुबरी टाईगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गांधीसागर व् अन्य संरक्षित क्षेत्र और इससे लगे हुए नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य तथा उपरोक्त "अ" एवं "ब" श्रेणी में आने वाले वन क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य समस्त नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य। उपरोक्त 'अ' एवं 'ब'	रू. 1.00 करोड़	05	20%	रू. 3.00 करोड़

	श्रेणी में वर्णित वन क्षेत्रों के नये प्रवेश मार्ग (सफारी गेटस्) को 'स' श्रेणी में मान्य किया जाएगा।				

6.16 दूरस्थ/दुर्गम नवीन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान -

प्रदेश में दूरस्थ/दुर्गम नवीन स्थलों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर 5% अतिरिक्त लागत पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा। इन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं में न्यूनतम निवेश की पर्यटन नीति में निर्धारित सीमा से 50% कम न्यूनतम पूंजी निवेश मान्य किया जायेगा तथा होटल/रिसोर्टस के प्रकरणों में आवास कक्षों की संख्या भी न्यूनतम से आधी मान्य होगी। ऐसे क्षेत्रों में स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को अनुदान के प्रकरण में अनुदान हेतु नियत अधिकतम सीमा का बंधन नहीं होगा ।

उपरोक्त अतिरिक्त अनुदान सुविधाओं की पात्रता शर्तों एवं प्रदेश में दूरस्थ/दुर्गम नवीन स्थलों को परिभाषित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

6.17 विद्यमान होटल के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण कर अपग्रेडेशन हेतु पूंजीगत अनुदान -

अ. वर्तमान स्टेंडर्ड श्रेणी के होटल एवं मिनी रिसोर्ट के जीर्णोद्धार/ आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन कर स्थापित किये जाने वाले डीलक्स होटल (न्यूनतम कुल 50 कमरे), रिसोर्ट (न्यूनतम कुल 20 कमरे) को नवीन इकाई को नीति में दी गई पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणी में अनुदान की पात्रता होगी ।

अनुदान पात्रता हेतु न्यूनतम रू. 10.00 करोड़ का नवीन पूंजी निवेश आवश्यक होगा ।

ब. विद्यमान डीलक्स श्रेणी के होटल एवं रिसोर्ट के जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन कर स्थापित किए जाने वाले 4 स्टार अथवा इससे अधिक उच्च श्रेणी के होटल (न्यूनतम कुल 75 कक्ष) अथवा रिसोर्ट को (न्यूनतम कुल 25 कक्ष) नीति में संबंधित श्रेणी की नवीन इकाई को दी पात्रता

अनुसार अनुदान पात्रता होगी । इस हेतु न्यूनतम रू. 25.00 करोड़ नवीन पूंजी निवेश आवश्यक होगा ।

स. ऐसी इकाईयों को उसी पूंजी निवेश पर अनुदान पात्रता होगी जो इस नीति के लागू होने के दिनांक के उपरांत किया गया हो ।

6.18 अनुदान प्राप्त इकाई का निरंतर संचालन -

(i) पर्यटन नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान व अन्य कोई अनुदान प्राप्त इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से 03 वर्षो के लिये निरंतर संचालित रखी जाये । ऐसी इकाईयों को अनुदान प्राप्त करने के उपरांत यह आवश्यक होगा कि वे प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक अपने कार्यरत रहने के प्रमाण में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-declaration) प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त अनुसार पालन न होने पर इकाई को निम्नानुसार अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी -

अ/ अनुदान प्राप्ति के एक वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 80% (अनुदान) राशि ।

ब/ अनुदान प्राप्ति के 02 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 60% (अनुदान) राशि ।

स/ अनुदान प्राप्ति के 03 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 50% (अनुदान) राशि ।

(ii) पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र इकाई को इकाई प्रारंभ करने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

(iii) पूंजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 03 वर्ष पूर्व किया निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा ।

6.19 वृहद/मेगा एवं अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन सहायता -

वृहद/मेगा एवं अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजनाओं को उनकी श्रेणी अनुसार निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी :-

परियोजना श्रेणी	न्यूनतम अनुमत्य पूँजीगत व्यय	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगों को) रोजगार	इकाई द्वारा किये स्थाई पूंजी निवेश पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा	वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत			
					प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
वृहद	रू. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक	50	30%	15 करोड़	10%	10%	5%	5%
मेगा	रू. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक	100	30%	30 करोड़	10%	10%	5%	5%
अल्ट्रा मेगा	रू. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक	200	30%	90 करोड़	10%	10%	5%	5%

हैरिटेज होटल स्थापना हेतु न्यूनतम निवेश की सीमा उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित न्यूनतम निवेश का 50% होगी तथा प्रदेश के लोगों को रोजगार की न्यूनतम संख्या उपरोक्त श्रेणियों में निर्धारित संख्या का 50% होगी ।
निवेश प्रोत्साहन सहायता प्राप्तकर्ता इकाई को किसी भी श्रेणी में नीति में प्रावधित लागत पूंजी अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

6.20 उत्तरदायी पर्यटन हेतु अनुदान -

(i) पर्यटन परियोजनाओं को ईको टूरिज्म सोसायटी ऑफ इंडिया से ईको फेंडली इकाई का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर किये गये व्यय की 100%, अधिकतम रूपये 01 लाख तक प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी ।

(ii) नवीन/विद्धमान पर्यटन परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मापदंडों के अनुसार प्रदूषण उपचार संयत्र की स्थापना पर किए पूंजी निवेश पर 25% की दर से अधिकतम रूपये 50 लाख तक के अनुदान पात्रता होगी, बशर्ते ऐसे संयत्र की स्थापना लागत रूपये 10 लाख से अधिक हो ।

6.21 **अनुसूचित जनजाति / जाति के उद्धमियों को विशेष अनुदान-**
अजजा/अजा श्रेणी के उद्धमियों द्वारा उनके शत प्रतिशत स्वामित्व में स्थापित की गई पर्यटन परियोजनाओं को 5% अतिरिक्त लागत पूंजी अनुदान की पात्रता होगी ।

6.22 **हेरिटेज/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को चरणबद्ध छूट एवं अनुदान सुविधा -**
हेरिटेज/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को पूर्व अनुमोदित क्रियान्वयन योजना अनुसार गतिविधियां प्रारंभ करने पर चरणवार निवेश पर अनुदान/छूट प्राप्त करने की सुविधा होगी । चरणबद्ध अनुदान/छूट प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रथम चरण अधिकतम 02 वर्ष में, द्वितीय चरण अधिकतम 03 वर्ष में एवं अंतिम चरण अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण कर लिया गया हो । इकाई को पूरी परियोजना हेतु निर्धारित पात्रता की सीमा तक ही यह लाभ प्राप्त होगा ।
इस श्रेणी के अंतर्गत यदि इकाई सम्पूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन एवं संचालन एक मुश्त करती है तो पूँजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 05 वर्ष पूर्व किया गया अनुमत्य पूँजीगत निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा ।

6.23 विभिन्न अनुदान सुविधाओं के लिए वही पूंजीगत निवेश मान्य होगा जो पूंजी अनुदान हेतु अंतिम रूप से मान्य किया गया हो । तदनुसार परियोजना के अनुदान की पात्रता एवं परियोजना श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा ।

6.24 यदि इकाई एकाधिक श्रेणियों में छूट/अनुदान की पात्रता रखती है तो उसे कौन-कौन सी श्रेणियों में पात्रता लेनी है, का विकल्प चयन करने की स्वतंत्रता होगी । दो समान छूट/अनुदान सुविधाओं में से एक का ही चयन किया जा सकेगा । उदाहरणार्थ यदि इकाई को पूंजीगत अनुदान की पात्रता सामान्य इकाईयों की पात्रता एवं विशेष इकाईयों की पात्रता दोनों के अंतर्गत है तो चयन अनुसार एक ही श्रेणी की पात्रता होगी ।

6.25 (i) पर्यटन इकाईयों को राष्ट्र स्तरीय मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने पर स्थल/स्टॉल स्थापना व्यय पर 50% सहायता राशि जो अधिकतम रूपये 01 लाख तक होगी, की पात्रता होगी ।

(ii) पर्यटन इकाईयों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग आयोजनों में भाग लेने पर स्थल/स्टॉल स्थापना व्यय एवं 01 व्यक्ति हेतु इकनोमी श्रेणी के हवाई यात्रा व्यय पर 50% सहायता राशि जो अधिकतम रूपये 02 लाख तक, की पात्रता होगी ।

(iii) किसी इकाई को प्रतिवर्ष उपरोक्त अधिकतम चार आयोजनों में भाग लेने पर सहायता की पात्रता होगी ।

(iv) कल्चरल/ फूड /पारंपरिक वस्त्र / हस्तशिल्प गतिविधियों में संलग्न पंजीकृत/प्रमाणित स्व-सहायता समूहों/मंडलों एवं पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने पर आये व्यय (स्थल/स्टॉल किराया एवं 02 व्यक्तियों के एसी-2 श्रेणी का रेल किराया /01 व्यक्ति का इकनोमी श्रेणी का हवाई किराया) पर 100% सहायता राशि अधिकतम रूपये 01 लाख तक, की पात्रता होगी ।

6.26 हॉट एयर बैलून संचालन हेतु विशेष अनुदान -

एडवेंचर टूरिज्म हेतु हॉट एयर बैलून गतिविधि संचालन पर भूमि मूल्य छोड़कर शेष परियोजना व्यय पर 50% पूंजीगत अनुदान देय होगा । परियोजना स्थापना हेतु न्यूनतम रूपये 50 लाख का व्यय आवश्यक होगा । अनुदान राशि वर्षवार निम्नानुसार वितरित की जायेगी :-

- प्रथम वर्ष गतिविधि स्थापना पर - 15%
- द्वितीय वर्ष गतिविधि संचालन पर - 10%
- तृतीय वर्ष गतिविधि संचालन पर - 10%
- चतुर्थ वर्ष गतिविधि संचालन पर - 10%
- पंचम वर्ष गतिविधि संचालन पर - 5%

6.27 पर्यटन विभाग की निवर्तित भूमियों/परिसंपत्तियों पर पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु अनुदान पात्रता की प्रभावशीलता -

इस नीति की प्रभावशीलता अवधि में पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को आवंटित भूमियों/परिसंपत्तियों पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु इस नीति में प्रचलित प्रावधानों को पर्यटन नीति की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद भी नीति में प्रावधित अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी, बशर्ते निवेशक द्वारा भूमि का अधिपत्य प्राप्त कर निष्पादित लीज डीड की शर्तों के अनुसार तय समयावधि में परियोजना स्थापित कर ली गई हो ।

6.28 - पर्यटन विभाग की विद्यमान परिसंपत्तियों के अतिरिक्त नवीन पर्यटन परियोजना स्थापना पर किये गये व्यय पर लागत पूंजी अनुदान -

निवेशक द्वारा पर्यटन निगम की लीज/प्रबंधकीय अनुबंध/लायसेंस पर दी गई इकाईयॉ/ बोर्ड द्वारा लीज पर आवंटित भूमियों/ब्राउन/ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों में उपलब्ध अतिक्ति भूमि पर नवीन पर्यटन परियोजना स्थापना पर यदि रूपयें 1.00 करोड़ या अधिक का नया पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाई को नीति में वर्णित अनुदान पात्रता श्रेणी अनुसार नये निवेश पर पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी ।

6.29 - इलेक्ट्रिक क्रूज को प्रोत्साहित करने हेतु मान्य परियोजना व्यय पर 5% का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान नीति के सुसंगत प्रावधानों के अध्यधीन देय होगा ।

6.30 - गोल्फ टूरिज्म हेतु पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित भूमि में से अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि का व्यवसायिक उपयोग करने की अनुमति निवेशक को गुण दोष के आधार पर साधिकार समिति द्वारा दी जा सकेगी । व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित स्थल/अधोसंरचना को निवेशक द्वारा लीज अवधि की सीमा के अंतर्गत सब-लीज पर निवर्तित किया जा सकेगा । सब-लीज की शर्तें तय करने के लिए पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

a) गोल्फ टूरिज्म को प्रोत्साहित करने हेतु नीति की कंडिका 6.19 अनुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी । नीति में उल्लेखित पर्यटन परियोजनाओं के अलावा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग पर किये जाने वाला व्यय अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा ।

b) गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अंतर्गत पृथक से परियोजना तैयार कर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा ।

7. वीक एण्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना-

प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने एवं 'वीक एण्ड टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों के अपेक्षानुरूप पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन एवं वृद्धि हेतु जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद (DTPC) को संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे ।

8. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट-

8.1 निजी भूमि पर हेरिटेज पर्यटक परियोजनाओं की स्थापना के लिये प्रश्नाधीन हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल तथा उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। यदि भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो उस अतिरिक्त भू-भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय होगा। पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।

8.2 पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमि (लैंड-पार्सल, हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ की अनुषांगिक भूमि, मार्ग सुविधा केन्द्र की भूमि) एवं पर्यटन विभाग की संपत्तियॉं, पर्यटन परियोजनाओं के लिये लीज/विकास अनुबंध/ प्रबंधकीय अनुबंध/लाइसेंस आदि पर दिये जाने पर निष्पादित एवं पंजीकृत अनुबंधों पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देय नहीं होगा।

8.3 विद्यमान कंडिका क्र. 8.2 में दी गयी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा छूट उपलब्ध कराने की वर्तमान नीति में परिवर्तन की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति निवेशक को विभाग द्वारा की जायेगी ।

9. निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों का आवंटन -

9.1 पर्यटन उद्देश्यों की पूर्ति एवं निजी निवेश से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये पर्यटन विभाग को शासकीय भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति निःशुल्क आवंटित कर अंतरित की जायेगी।

9.2 उपरोक्त अंतरित भूमियों/ हेरिटेज परिसंपत्तियों के निवर्तन हेतु पर्यटन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश टूरिज़्म बोर्ड अधिकृत होगा।

9.3 चिन्हित शासकीय भूमियों/भूमि जिस पर परिसंपत्तियां निर्मित है एवं जो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित है अथवा की जायेगी, को 90 अथवा 30 वर्ष की लीज पर देने, 5 से 30 वर्ष के लिए लाइसेंस पर देने अथवा विकास/प्रबंधकीय अनुबंध के माध्यम से विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर्यटन विभाग द्वारा लिया जायेगा।

9.4 निवर्तन हेतु नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत) क्षेत्रों में एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रूपये 10.00 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपये 5.00 लाख प्रति हेक्टेयर होगा।

9.5 हेरिटेज महत्व के भवनों एवं उससे लगी आनुषांगिक भूमि के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य रूपये 1.00 लाख होगा। निवर्तन हेतु ऐसे हेरिटेज भवनों एवं आनुषांगिक भूमि का चिन्हांकन एवं चयन इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

9.6 नीति के अंतर्गत भूमियों एवं हेरिटेज परिसंपत्तियों का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जायेगा एवं आरक्षित मूल्य पर सर्वाधिक मूल्य के प्रस्ताव को आवंटन हेतु चुना जायेगा।

9.7 उपरोक्तानुसार प्राप्त अधिकतम मूल्य की राशि एकमुश्त प्रीमियम के रूप में देय होगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष इस प्रीमियम राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि लीज रेंट के रूप मे देय होगी।

9.8 लीज पर दी गई भूमियों से प्राप्त होने वाली निविदा राशि (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेंट की राशि, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा शासन से प्राप्त राशि के रूप मे पृथक मद "शासकीय भूमियों का निवर्तन एवं अधोसंरचना विकास" में रखी जायेगी। यह राशि भूमियों के सर्वे, हस्तांतरण, निविदा प्रक्रिया, विद्युत/सड़क/जल प्रदाय, ऐरिया प्लानिंग, ऐरिया डेवलपमेंट, परिसंपत्तियों की सुरक्षा व अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा व्यय की जा सकेगी। इस राशि के व्यय के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे ।

9.9 पर्यटन विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमियां/ भूमियां जिन पर परिसंपत्तियां (यथा हेरिटेज परिसंपत्ति आदि) का निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु निवर्तन, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा । नीति अनुसार निवर्तन की प्रक्रिया निर्धारण, नियम, पात्रता मूल्याङ्कन पत्र आदि प्रपत्रों के निर्धारण हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

9.10 एक हेक्टेयर तक की भूमियों एवं मार्ग सुविधा केन्द्रों की निविदा शर्तों को इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि नवीन उद्धमियों एवं प्रदेश की प्रचलित स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्टार्टअप उद्धमियों तथा आजीविका मिशन द्वारा प्रोत्साहित महिला स्व सहायता समूह, समूहों के संकुल स्तरीय संगठन, किसान उत्पादक कंपनी एवं महिला उद्यमियों/सामूहिक महिला उद्यमियों को निविदाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो।

9.11 पर्यटन विभाग द्वारा निजी निवेशकों को लीज पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु दी गई हेरिटेज परिसम्पत्तियों पर परियोजना स्थापना हेतु प्रथमत: 05 वर्ष की समयावधि दी जायेगी जिसे औचित्यपूर्ण कारणों से आगामी 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

9.12 अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व/पर्यटन विभाग के लैंड बैंक में से प्रस्तावक द्वारा चिन्हित ग्रामीण क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि निवेशक को उस भूमि से संलग्न/निकटस्थ क्षेत्र में असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाइड लाइन के तत्समय प्रचलित रेट अथवा पर्यटन नीति में भूमि निविदा हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य जो भी अधिक हो पर 90 वर्ष की लीज पर 1% वार्षिक लीज रेंट पर आवंटित किया जा सकेगा । प्रत्येक 30 वर्ष के उपरांत लीज रेंट में 6 गुना वृद्धि की जायेगी । यदि प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग की शासकीय भूमि के लैंड बैंक की भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि प्रथमत: पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जायेगी । यह आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा । ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यटन नीति अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा ।

9.13 - **अ.** मार्ग सुविधा केन्द्र को आवंटित भूमि सड़क निर्माण, अतिक्रमण या अन्य शासकीय निर्माण आदि के कारण कम हो जाती है तो ऐसी भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर समतुल्य मूल्य की भूमि का हस्तांतरण पर्यटन विभाग को कराया जाकर कम हुई भूमि के बदले प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड द्वारा अनुबंधी को सीधे आवंटित किया जायेगा ।

ब. मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा उसे आवंटित भूमि से लगी शासकीय भूमि पर रूपये 1.00 करोड़ या उससे अधिक पूंजी लागत से पर्यटन परियोजना की स्थापना प्रस्तावित किया जाता है तो ऐसी शासकीय भूमि का पर्यटन विभाग को हस्तांतरण कराया जाकर अधिकतम एक हेक्टेयर तक भूमि तत्समय उस स्थल के प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट पर मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक को प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड द्वारा सीधे आवंटित किया जा सकेगा।

9.14 - प्रदेश की शासकीय विभागों की परिसंपत्तियों में पर्यटन परियोजना की स्थापना :-

नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले विभागों की आनुषांगिक भूमि सहित परिसंपत्तियों यथा रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, डॉक बंगला, सर्किट हाऊस आदि में पर्यटन संभाव्यता की दृष्टि से पर्यटन परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा।

इन आनुषांगिक भूमि सहित परिसंपतियों को पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजना की संभाव्यता के आधार पर पर्यटन विभाग की संबंधित नीति एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटित की जायेगी ।

पर्यटन विभाग को हस्तांतरित इन भूमि सहित परिसंपत्तियों में यदि वेलनेस/ थीमपार्क/होटल /रिसॉर्ट/एम्यूजमेंट पार्क आदि जैसी पर्यटन परियोजना स्थापना की संभाव्यता होती है तो भूमि सहित परिसंपत्ति के निवर्तन हेतु आरक्षित मूल्य, भूमि का तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन रेट का 50 प्रतिशत एवं रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति/संस्था द्वारा भवन के मूल्यांकन का शत-प्रतिशत दर, को जोड़कर निर्धारित होगा । उक्त परिसंपत्ति का निवर्तन मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग द्वारा जारी निवर्तन की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा ।

10. ईको तथा साहसिक पर्यटन-

10.1 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान मे सम्मिलित वन क्षेत्र को छोडकर संपूर्ण राज्य के वन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा निर्धारित "म०प्र० वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम-2015 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियो का संचालन किया जायेगा। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं वन विभाग के संबंधित उपक्रमो द्वारा संयुक्त रूप से पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित कर समुचित प्रयास किए जाएँगे ।

वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन में समस्त प्रचलित एवं सुसंगत वन अधिनियमों/ नियमों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

10.2 कंड़िका 10.1 में वर्णित अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर भी ईको एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत होगा। किसी भी स्थल पर संचालित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण स्थानीय संभावनाओं (Potential)/ आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा । इसमें कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाईबिंग/माउण्टेनीयरिंग, पैरा-सेलिंग/पैरा ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि गतिविधियां शामिल की जा सकेंगी ।

10.3 ईको/साहसिक पर्यटन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये पर्यटन विभाग भूमि लीज पर अथवा लायसेन्स पर दे सकेगा ।

10.4 ईको/साहसिक पर्यटन हेतु भूमि लीज पर देने हेतु इस नीति की कंडिका 9 अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

10.5 यदि भूमि पर कोई व्यापक या स्थायी स्वरूप का निर्माण आवश्यक नही है तो ऐसी भूमि लायसेंस पर भी दी जा सकेगी ।

10.6 सामान्यतः लायसेंस पर दिये जाने के पूर्व भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जावेगी । परंतु जहां ऐसा संभव नहीं हो, वहां उसे भूमि का स्वामित्व धारण करने वाले विभाग की सहमति (ऐसी शर्तो के साथ, जो वह विभाग निर्धारित करे) प्राप्त कर लायसेंस दिया जा सकेगा ।

10.7 भूमि को लायसेंस पर दिये जाने के लिये लायसेंस की अवधि, शर्तें तथा फीस का निर्धारण, इस नीतिके अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा किया जाएगा । लायसेंस की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10.8 एक ही स्थान पर या एक से अधिक गतिविधियों के लिये विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा ।

10.9 ईको/साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लायसेंस देने की प्रक्रिया आदि हेतु पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देशा तय करेगा।

10.10 ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन को बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधायें विकसित कर बढ़ावा दिया जायेगा एवं सशक्त बनाया जायेगा ।

10.11 साहसिक पर्यटन/कैम्पिंग गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध भूमि लाइसेंस पर प्राप्त करने की पात्रता पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को भी होगी ।

11. फिल्म टूरिज्म-

11.1 फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन विभाग इन निर्माताओं को शासकीय विभागों से विधि मान्य अनुमतियां प्राप्त करने के लिये आवश्यक समन्वय करेगा। यह सेवा सर्वोतम प्रयास के आधार पर (On Best Effort Basis) संबंधित निर्माता/ कम्पनी को दी जा सकती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां करने के लिये पर्यटन विभाग को अधिकृत करने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

11.2 फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा ।

11.3 मध्यप्रदेश को फिल्म शूटिंग के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ।

11.4 प्रदेश में उपलब्ध फिल्म पर्यटन संभावनाओं के पूर्ण उपयोग एवं प्रदेश को फिल्म टूरिज्म हेतु पसंदीदा गन्तव्य बनाने के लिये पृथक से समग्र फिल्म टूरिज्म पालिसी तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी। नीतिं में फिल्म शूटिंग आदि हेतु विभिन्न अनुमतियां देने, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवं जिला स्तर तक सहयोग प्रदान करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी । प्रदेश में फिल्म शूटिंग पर आये व्यय में छूट देने पर भी विचार किया जायेगा ।

12. राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद/जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की स्थापना -

12.1 राज्य स्तर पर राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद स्थापित की जायेगी। यह परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यटन क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के नामांकन से गठित होगी । परिषद का गठन, उसकी कार्य पद्धति तथा सदस्यता निर्धारित करने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

12.2 प्रदेश में निजी निवेशकों को आकर्षित करने तथा स्थानीय स्तर पर गंतव्य प्रबंधन में जिला स्तर के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अतः प्रत्येक जिलास्तर पर जिलापर्यटन संवर्द्धन परिषद (DTPC) का गठन किया जाएगा। इस परिषद के कार्यकलाप, अधिकार, संरचना आदि के संबंध में पर्यटन विभाग विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा ।

12.3 पर्यटक स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न शासकीय विभागों के लोगों/ स्थानीय लोगों/सर्विस प्रोवाइडर्स/ व्यवसायियों आदि को पर्यटक आचरण एवं व्यवहार के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनाने के लिये जिला पर्यटन संवधन परिषद के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता आदि कार्यक्रम निरन्तर आयोजित किये जायेंगे ।

13. जल पर्यटन-

13.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जल क्षेत्रों मे पर्यटन सम्भाव्यता के समूचित उपयोग की दृष्टि से पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु पर्यटन विभाग अधिकृत होगा ।

13.2 इन जल क्षेत्रों में स्थित तटीय एवं टापूओं की उपलब्ध भूमि पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित विभाग से हस्तांतरित करायी जाकर निजी निवेशकों को विभागीय नीति अनुसार आवंटित की जायेगी ।

13.3 इन जल क्षेत्रों में वहन क्षमता (Carrying Capacity) को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को हाउस बोट क्रूज, मोटर बोट एवं जल

क्रीड़ा गतिविधियों के लिए लायसेंस दिए जा सकेंगे। लायसेंस देने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा। जल क्षेत्र की वहन क्षमता, लायसेंस की प्रक्रिया शर्ते एवं फीस आदि निर्धारित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी ।

13.4 जल क्षेत्रों के समग्र पर्यटन नियोजन एवं अधोसंरचना विकास हेतु पर्यटन विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

13.5 पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित जेट्टी/बोट क्लब/जेट्टी एवं बोट क्लब से लगी हुई भूमियों को जल पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त निवेशकों को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें । इसी तरह क्रूज, सी-प्लेन एवं एमफीबियन पर्यटन वाहन के संचालन स्थल के निकट पर्यटन विभाग को आवंटित भूमि को पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु जल पर्यटन नीति अंतर्गत लायसेंस प्राप्त लायसेंसियों को आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करायी जायेगी ।

ऐसी भूमि जो कि दो हेक्टेयर से अनाधिक होगी, उपरोक्त लायसेंसियों को रूपये 5 लाख प्रति हैक्टेयर अथवा असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन रेट, जो भी अधिक हो, पर उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे अपनी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकें ।

13.6 उपरोक्त कंडिका क्र. 13.5 में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी होगा एवं आवश्यक नियम एवं शर्ते तथा शुल्क आदि का निर्धारण करेगा ।

13.7 पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को जल पर्यटन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में जल पर्यटन गतिविधियों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी ।

14. सम्पोषणीय पर्यटन (Sustainable Tourism) -

पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रबंधन ऐसा होना चाहिये कि वहां पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय परम्पराएं, संस्कृति एवं उत्पादों का प्रभावी संरक्षण हो। इसके लिये पर्यटन विभाग विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही

विभिन्न गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करेगा, जिनका समेकित पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तथा उन्हें रेग्युलेट करने अथवा रोकने के उपाय भी करेगा। जिन गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव हो उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय भी किये जायेंगे। इस हेतु समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय स्तर पर सूचना, संचार एवं शिक्षा (Information, Education & Communication) के विभिन्न कारकों का प्रभावी उपयोग किया जायेगा। इसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों की संयुक्त भागीदारी की आवश्यकता होगी, जो राज्य स्तरीय पर्यटन संवर्धन परिषद के माध्यम से की जा सकेगी।

15. युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण -

15.1 युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी/ कौशल विकास शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट (SIHM), मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) एवं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (FCI) के माध्यम से युवाओं को पर्यटन उद्योग हेतु आवश्यक ट्रेड/ क्षेत्रों में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जायेगा ।

15.2 भारत शासन की कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम सतत संचालित कर युवाओ को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

15.3 राज्य के पर्यटन उद्योग की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन कर हॉस्पिटेलिटी, एडवेन्चर टूरिज्म, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, प्रबंधन एवं कौशल विकास आदि क्षेत्रो मे पाठ्यक्रम तैयार कर वित्त प्रतिपोषण किया जायेगा ।

15.4 मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) द्वारा सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की सहभागिता से कराये जायेंगे। मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी ट्रेनिंग (MPIHT) को हॉस्पिटेलिटी प्रशिक्षण के क्षेत्र मे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप मे विकसित किया जायेगा तथा इस संस्थान द्वारा कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षितों का प्रमाणीकरण किया जायेगा ।

15.5 टूरिस्ट गाइड का चयन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण भी MPIHT द्वारा किया जायेगा ।

16. निवेशक सहायता (Investor facilitation) -

16.1 इस नीति के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियों हेतु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा ।

16.2 निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी तथा मानक प्रक्रिया स्थापित की जाएगी |

16.3 निवेशकों को अनुमति/अनापत्ति दिलाने/नवीनीकरण कराने हेतु व्यक्तिशः अनुसरण (Hand holding) प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

16.4 पर्यटन से जुड़े हितग्राहियों से संपर्क एवं समन्वय रखते हुए प्रबंधन एवं संचालन सम्बन्धी समस्या के निराकरण के प्रभावी कदम उठाये जायेगें |

16.5 पर्यटन संभावित अविकसित नवीन क्षेत्रों में निवेश कर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित की जाएगी | नवीन पर्यटन सम्भावना वाले क्षेत्रों का विकास कर निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा |

16.6 नीति अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु परियोजना वार समय सीमा का निर्धारण किया जायेगा |

17. Ease of doing Business

17.1 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों से अनुमतियाँ /अनापत्ति प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल का उपयोग किया जायेगा | समयसीमा में निवेशकों को अनुमतियां/अनापत्ति आदि प्राप्त हो सके, इसके लिए परिशिष्ट - "क" में वांछित अनुमतियों / अनापत्तियों की विभागवार सूची, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय सीमा आदि का विवरण संलग्न है | इस सूची में आवश्यतानुसार संशोधन करने हेतु पर्यटन विभाग सक्षम होगा |

17.2 Ease of doing Business की अवधारणा को अमल में लाने के लिए अनुमतियां/अनापत्तियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत लाया जायेगा ।

17.3 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुपयोगी तथा अनावश्यक अनुमतियां/अनापत्तियों को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

17.4 निवेशकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर नियत समयसीमा में परियोजना स्थापना हेतु यथा आवश्यक अनुमतियां /अनापत्तियां प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

17.5 निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऑनलाइन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नीति अंतर्गत भूमि, हेरिटेज परिसंपत्ति एवं मार्ग सुविधा केन्द्रों आदि का आवंटन किया जायेगा।

17.6 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पूर्ण होने पर निजी निवेशकों से पूँजीगत अनुदान प्रकरण ऑनलाइन प्राप्त कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में अनुदान प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

18. मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास -

प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर योजना बनाकर लगभग प्रति 40 से 50 कि०मी० की दूरी पर उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाओं का विकास, पर्यटन विभाग द्वारा जारी "मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016" के अनुसार किया जायेगा।

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित ब्राउन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों तथा ग्रीन फील्ड मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन के लिए पर्यटन हेतु गठित पंजीकृत सहकारी समितियों को निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी।

19. पर्यटन को उद्योग के समान सुविधाएं -

नीति की कंडिका 5 में वर्णित परियोजनाओं को उद्योगों के समान निम्नानुसार सुविधायें प्रदान की जायेगी:-

19.1 पर्यटन परियोजनाओं को औद्योगिक दरों पर विद्युत प्रदाय करने का प्रयास किया जायेगा।

19.2 प्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित/

विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पा॰ इंडस्ट्रीयल सिटी/ आई०टी० पार्कस में एमेनिटीज हेतु आरक्षि भूमि पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु विभागीय नीति अंतर्गत औद्योगिक दरों पर सेवा क्षेत्र की इकाईयों के रूप आवंटित की जायेगी ।

19.3 पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमियों के व्यपवर्तन पर औद्योगिक दरों पर डायवर्सन शुल्क लिया जायेगा ।

19.4 पर्यटन परियोजनाओं को जल संसाधन विभाग द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों से औद्योगिक दरों पर जल उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

19.5 पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्मित भवनों एवं भूमियों पर स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक दरों पर संपत्ति कर/ विकास शुल्क आरोपित किया जायेगा ।

20. समग्र पर्यटन विकास हेतु विशेष प्रयास -

20.1 मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों के विपणन एवं विज्ञापन तथा ब्रांडिंग के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बाजारों तक पहुंच बनायी जायेगी ।

20.2 नये पर्यटन उत्पाद विकसित करने मे गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा ।

20.3 डिजीटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहित संचार के सभी माध्यमों का विपणन, प्रचार एवं ब्रांडिंग में योजना बनाकर उपयोग किया जायेगा।

20.4 निजी क्षेत्र के सफल पर्यटन उद्धमियों की विशेषज्ञता एवं श्रेष्ठता का लाभ उठाया जायेगा एवं ऐसे उद्धमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.5 निजी ट्रासपोर्ट ऑपरेटर्स को पर्यटन क्षेत्रों से सम्बद्ध करते हुये गुणवत्ता पूर्ण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.6 स्थानीय निकायों विशेषकर नगर पालिकाओ एवं नगर निगमों के हेरिटेज परिसंपत्तियों एवं अन्य पर्यटन महत्ता के स्थलों के संरक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

20.7 देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिये पूर्व नियत प्रवास पैकेज (Fixed Tours) विकसित किये जायेंगे एवं विपणन किया जायेगा।

20.8 विकसित/विकास संभावित पर्यटन क्षेत्रों का समुचित एवं संतुलित विकास मास्टर प्लॉन बनाकर किया जायेगा।

20.9 नई पीढ़ी में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये शालाओं एवं महाविद्‌यालयों में विविध गतिविधियां संचालित की जायेगी तथा उत्कृष्ट विद्‌यार्थियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.10 पर्यटन क्षेत्र में निवेश इच्छुक उद्‌यमियों को परियोजना स्थापना के लिये पूर्ण मदद हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जायेगी।

20.11 पर्यटन के क्षेत्र मे उत्कृष्टता के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न श्रेणियों मे "मध्यप्रदेश पर्यटन पुरस्कार" प्रदान किये जायेंगे।

20.12 निजी निवेशकों द्‌वारा स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

20.13 विभाग के मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मार्केटिग कार्यालयों के माध्यम से विभागीय होटल/रिसोर्टस आदि की मार्केटिंग के साथ-साथ निजी होटल/रिसोर्टस आदि पर्यटन परियोजनाओं की मार्केटिंग की जायेगी ।

20.14 प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्‌ध हेरिटेज पर्यटक स्थलों में पर्यटक सुविधाऐं विकसित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा एवं ऐसे स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ।

20.15 धार्मिक पर्यटन के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों में पर्यटक सुविधाऐं निर्मित कर पर्यटन अनुकूल बनाया जाएगा ।

21. पर्यटन नीति का क्रियान्वयन-

पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2025 के अंतर्गत वांछित सुविधाएं/ रियायतें/अनुज्ञप्तियां आदि देने के लिये संबंधित विभाग आवश्यक दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं/ नियम जारी करेंगे। इस संबंध में मत-भिन्नता अथवा कठिनाई होने पर अथवा नीति के स्पष्टीकरण/व्याख्या/ विवाद-निराकरण के प्रकरणों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा -

- प्रमुख सचिव, वित्त
- प्रमुख सचिव, पर्यटन
- प्रमुख सचिव, वन
- प्रमुख सचिव, संस्कृति
- प्रकरण से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव
- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, इसके सदस्य सचिव होंगे ।

यह समिति प्रचलित नीति के अनुरूप निर्णय ले सकेगी । यह निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन अनिवार्यतः किया जायेगा । यह समिति इस नीति के अंतर्गत यथा उल्लेखित दायित्वों का निर्वहन करेगी ।

यह समिति पर्यटन नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर निवेशकों/विभिन्न स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझावों/शिकायतों के संबंध में विचार कर निर्णय ले सकेगी । समिति द्वारा लिये गये निर्णयों पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही आवश्यक होगी ।

यह समिति निवेशक द्वारा नीति से परे सुविधायें हेतु आवेदन किए जाने पर कस्टमाईज्ड इन्सेंटिव पैकेज को स्वीकृत कर सकेगी ।

यह समिति निवेशक अथवा स्वयं ही आवश्यकता प्रतीत होने पर किसी इकाई विशेष को स्वीकृत कस्टमाईज्ड इन्सेंटिव पैकेज का पुर्नविलोकन कर सकेगी ।

22. निरसन-

22.1 नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से "पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019" निरसित मान्य की जायेगी तथापि पूर्व नीति के लागू रहने की अवधि में विभिन्न अनुदानों एवं सुविधाओं हेतु पात्र

इकाईयां पूर्व नीति के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगी ।

22.2 पर्यटन नीति में जहां जहां नीति क्रियान्वयन हेतु "मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड" का दायित्व है, वहाँ वहाँ "मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम" के स्थान पर "मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड" पढ़ा जावे ।

परिशिष्ट - "क"

निजी निवेशकों को समय सीमा में पर्यटन परियोजना स्थापित करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें निम्न अनुमतियाँ शामिल की जाएंगी ।

अनिवार्य विभागीय अनुमतियों की सूची			
स.क्र.	**अनुमति**	**संबंधित विभाग**	**लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा**
1	भवन निर्माण अनुमति	नगरीय निकाय ग्राम पंचायत वन विभाग	45 दिवस (भूमि विकास नियम 2012)
2	भूमि/ संपत्ति पंजीकरण	रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग	1 दिवस भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
3	अग्नि अनापत्ति पत्र	नगरीय निकाय	30 दिवस (भूमि विकास अधिनियम 2012)
4	बिजली कनेक्शन (अस्थायी / स्थायी)	मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी	7 दिवस (विधुत अधिनियम 2003)
5	जल प्रदाय व्यवस्था	नगरीय आवास एवम विकास निकाय ग्राम पंचायत	15 दिवस (मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961)
6	स्थापना / संचालन के लिए अनुमति	प्रदूषण नियंत्रण मंडल	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिमय 1981

7	विधुत कार्य/ स्थापना हेतु ड्राइंग अनुमोदन / निरीक्षण	ऊर्जा विभाग, मुख्य विधुत निरीक्षक	7 दिवस विधुत अधिनियम 2003
8	गुमास्ता	श्रम सेवा पोर्टल	1 दिवस (मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958)
9	ट्रेड लाइसेंस	नगरीय निकाय	30 दिवस (मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956)
10	फ़ूड लाइसेंस	FSSAI portal	60 दिवस

अनुमतियॉ जो कि कुछ परियोजनाओं में अनिवार्य हो सकती है

स. क्र.	**अनुमति**	**संबंधित विभाग**	**लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा**
1	भूमि/ पुरातत्व संपत्ति	मध्यप्रदेश पर्यटन/ राजस्व / पुरातत्व	नुजूल अनापत्ति 30 दिवस
2	भूमि उपयोग परिवर्तन	Deemed व्यपवर्तन पर्यटन परियोजना हेतु	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (समय सीमा परिभाषित नहीं) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959(समय सीमा 15 दिवस)
3	नामांतरण	राजस्व	मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (45 दिवस)
4	पेड़ काटने की अनापत्ति	संबधित जिला कलेक्ट्रेट	मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961
5	Tree Transit	संबधित जिला कलेक्ट्रेट	मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961
6	Right of way/ Road cutting permission	नगरीय विकास	मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 /1961 (30 दिवस)

7	बार लाइसेंस	आबकारी विभाग	आबकारी नीति
8	CGWA NOC	जल शक्ति मंत्रालय	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
9	Form C (Foreign guest arrival)	गृह मंत्रालय	यह कंप्लायंस है
10	NOC Forest Department	वन विभाग	—

अनुमतियाँ जो कि परियोजना स्थापित करने वाली फर्म हेतु निर्धारित है

स.क्र.	अनुमति	संबंधित विभाग	लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा
1	प्रोफेशनल टैक्स	वाणिज्यिक कर विभाग	1 दिवस (मध्यप्रदेश राज्य व्यवसाय कर अधिनियम 1995)
2	GST पंजीकरण	राजस्व विभाग, भारत सरकार	1 दिवस (भारतीय संविधान के 101 वें संशोधन अधिनियम, 2016)
3	ESI पंजीकरण	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार	3 दिवस (ठेका श्रम (विनियमन) एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970)
4	PF पंजीकरण	नगरीय निकाय	समय सीमा निर्धारित नहीं
5	VAT Registration	वाणिज्यिक कर विभाग	—
6	संपत्ति कर	नगरीय निकाय	30 दिवस (मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956)
7	नजदीकी पुलिस थाने को पर्यटकों की जानकारी देना	गृह विभाग	यह कंप्लायंस है

8	वन विभाग/ AAI/WRD/ASI/ National Monument authority से अनापत्ति	वन विभाग/ AAI/WRD/ASI/ National Monument authority	—

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

क्रमांक एफ TD/2/0005/2025/तैंतीस, मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 04 दिनांक 11 फरवरी 2025 के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 की कंडिका 5 अनुसार परिशिष्ट-दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" का अनुमोदन किया जावे।

प्रारूप नीति के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की लिपिकीय/तकनीकी त्रुटि अथवा विसंगति होने पर मुख्य सचिव की सहमति से संशोधन करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया जावे।

अत: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद के निर्णय के पालन में "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" विभागीय संक्षेपिका दिनांक 09/02/2025 की कंडिका 5 अनुसार परिशिष्ट-दो पर संलग्न "मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025" की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.

'(परिशिष्ट- दो)'

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025)

मध्य प्रदेश में फ़ीचर फ़िल्म, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म निर्माण / फिल्मांकन के लिये सुविधा / प्रोत्साहन एवं फिल्म पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) लागू की जाती है।

1. दृष्टि:

मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

2. परिभाषाएं-

"नीति" का अर्थ, मध्य प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) से है।

"राज्य" का अर्थ, मध्य प्रदेश राज्य से है।

"शासन" का अर्थ, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग और उसके स्वामित्व वाले उपक्रम से है।

"बोर्ड" का अर्थ, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से है।

"प्रबंध संचालक" का अर्थ प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से है ।

"केन्द्र शासन" का अर्थ, भारत सरकार एवं इसके उपक्रम से है।

"फिल्म" का अर्थ सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में परिभाषित एक सिनेमैटोग्राफ़िक फिल्म से है।

"फीचर फिल्म" का अर्थ, न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमैटोग्राफ फिल्म जो कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड (CBFC) से श्रेणीकृत अथवा प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर / ओटीटी (OTT) में प्रक्रियानुसार रिलीज़ की गयी हो, से है।

* भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में वेब श्रृंखला, टीवी धारावाहिक / शो, रियलिटी शो, डॉक्यूमेन्ट्री, शॉर्ट फिल्म आदि को परिभाषित नहीं किया गया है। अत: नीति के तहत इन्हें लाभ प्रदान करने का निर्णय "फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ" द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि नीति में उल्लेख है।

3. उद्देश्य:

फिल्म पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

3.1 प्रदेश को फिल्म निर्माताओं की पहली पसन्द बनाना।

3.2 फिल्मों की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश को शूटिंग हब के रूप में विकसित करना।

3.3 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना और उन्हें बढ़ावा देना ।

3.4 फिल्म निर्माण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना।

3.5 फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना ।

3.6 प्रचार प्रसार, विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन विकास को गति प्रदान करना।

3.7 प्रदेश के पर्यटन स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।

3.8 प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना एवं प्रदेश में अधिकाधिक फिल्मांकन को प्रोत्साहित करना।

3.9 अधिकाधिक फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय करना।

4. रणनीति :

प्रदेश में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति के तहत प्रदेश में फिल्म पयर्टन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :-

4.1 समस्त प्रक्रियाओं का अनुमोदन, अनुमतियों और लाइसेंस आदि को सरल बनाने के लिए समस्त संभव प्रयास करना।

4.2 निवेश को आकर्षित करने के लिए वितीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।

4.3 आधारभूत संरचना निर्माण के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराना तथा निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करना।

4.4 फिल्म निर्माण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

5. सलाहकार/साधिकार समिति :

मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 1/9-64/2019/1/5 दिनांक 22/12/2016 से साधिकार समिति गठन किया गया है, जो कि प्रदेश में पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए नीति के प्रावधानों का स्पष्टीकरण / व्याख्या / विवाद निराकरण हेतु प्राधिकृत है. चूँकि फिल्म पर्यटन नीति 2020, मूलत: पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2025 का ही हिस्सा है अत: इस समिति में प्रमुख सचिव, वाणिज्यकर विभाग को शामिल करते हुए इस समिति द्वारा फिल्म पर्यटन नीति 2020 क्रियान्वयन के लिये नियम स्पष्टीकरण, नियम संशोधन, निर्देश/अनुमोदन, निगरानी का कार्य भी किया जायेगा।

5.1 साधिकार समिति प्रदेश के अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों/ग्रामीण निकायों के तहत आने वाले स्थलों एवं शासकीय आधिपत्य वाली सम्पत्तियों पर फिल्म शूटिंग के लिये दरों का निर्धारण करेगी तथा यह दरें सम्पूर्ण राज्य में लागू होंगी।

6. फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ :

6.1 फिल्म पर्यटन नीति को क्रियान्वित करने के लिए, एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अध्यक्षता में यह फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म पर्यटन हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण तथा संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय का कार्य करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन आवश्यकताओं के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिये समय-समय पर प्रस्ताव तैयार कर साधिकार समिति को प्रस्तुत करेगी।

6.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य :

1. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -	उपाध्यक्ष
3. संचालक, निवेश संवर्धन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -	सदस्य
4. उपसंचालक, फिल्म पर्यटन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -	सदस्य सचिव
5. उपसंचालक, वित्त, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -	सदस्य
6. पुरातत्व सलाहकार, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड -	सदस्य
7. फिल्म उद्योग से संबंधित विशेषज्ञ / निकाय -	सदस्य
8. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य	

फिल्म उद्योग से सम्बंधित विशेषज्ञ का मनोनयन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष द्वारा अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जायेगा।

6.3 **फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का कार्यक्षेत्र:**

6.3.1 सभी आवेदन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किये जायेगें। (वेब पोर्टल तैयार न होने पर ऑफलाइन मोड में भी प्राप्त किए जा सकेगें।)

6.3.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म अनुदान की पात्रता निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / देयको की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा ।

6.3.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने वाले लाइन प्रोडयूसर को पंजीकृत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

6.3.4 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

6.3.5 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म पर्यटन नीति-2020 (संशोधित 2025) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड, प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो कि नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्राधिकृत होगा।

6.3.6 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, फिल्म पर्यटन नीति क्रियान्वयन संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकतानुसार तय कर सकेगा। इस राशि का उपयोग नीति के कियान्वयन / प्रचार-प्रसार आदि के लिए करने हेतु अध्यक्ष, फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अधिकृत होंगे।

6.3.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, प्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेगा।

7. नीति का क्रियान्वयन :

7.1 नीति से संबंधित समस्त निर्देश, प्रक्रियायें एवं प्रपत्र आदि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

7.2 सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति, अनुदान आवेदनों का निराकरण नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

7.3 फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु अनुदान आवेदन करने से पूर्व फिल्म निर्माता को प्रथम बार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

7.4 अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृश्य/श्रव्य माध्यम से देश एवं प्रदेश के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।

7.5 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।

7.6 फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/प्रसारित होने के पश्चात निर्माता निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु आवश्यक सहपत्रों सहित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (Cost of Production) में मान्य मद संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार अनुमत्य होगें।

7.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिये फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को प्रकरण प्रस्तुत करेगी।

7.8 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के अनुमोदन के बाद आवेदक को अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

7.9 अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को उसके बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।

7.10 अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात 45 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा में किया जायेगा।

8. ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस :

8.1 सिंगल विंडो क्लीयरेंस :

मध्य प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार किया जायेगा। जिसमें सभी आवेदन फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन मोड में प्राप्त किए जाएंगे और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। यह पोर्टल फिल्म पर्यटन नीति के संबंध में सूचना-प्रसार के लिए भी उपयोगी होगा और नियमों, विनियमों, अनुदान और अन्य सुविधा-सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा।

फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ सभी फिल्म निर्माताओं/आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा।

प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उप जिलाध्यक्ष से अनिम्न होगा, को 'नोडल अधिकारी' के रूप में प्राधिकृत किया जायेगा, जो कि फिल्म पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।

8.2 मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 :

देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सभी शूटिंग अनुमतियां इस नियम के अंतर्गत शामिल की गई हैं। फिल्म निर्माता/आवेदकों को अधिकतम 15 दिवस की समय सीमा में शूटिंग अनुमति प्रदाय की जायेगी।

9. राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन:

फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य सरकार फिल्म उद्योग के विकास के लिये कार्यवाही करेगी। प्रचार-प्रसार गतिविधियों के तहत फिल्म फेस्टिवल, फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों आदि में भागीदारी की जावेगी, जिससे कि राज्य में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा मिले। प्रदेश में भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/गोष्ठी/सेमीनार आदि आयोजित किये जायेगें तथा देश के प्रमुख फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में आमंत्रित किया जायेगा। प्रदेश के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित फिल्म स्थलों को पर्यटक आकर्षण हेतु पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

10. फिल्म पर्यटन नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन:

फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण/टीवी सीरियल/श्रंखला, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने दृष्टिकोण से प्रदेश में विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हे निम्न पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये जाते है :-

10.1 फीचर फिल्मों के लिए अनुदान:

10.1.1 पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.	**पहली फिल्म के लिए अनुदान**	**मापदंड**
1	रु. 1.5 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

10.1.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान:

क्र.	**दूसरी फिल्म के लिए अनुदान**	**मापदण्ड**
1	रु. 1.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

10.1.3 तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान -

क्र.	**तीसरी और आगे की फिल्मों के लिए अनुदान**	**मापदंड**
1	रु. 2.00 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% तक या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	फिल्म के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

10.1.4(a) यदि प्रदेश में 75% शूटिंग वाली फीचर फिल्म के फिल्मांकन में मध्य प्रदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया हो, जिससे प्रदेश के पर्यटन को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलता है, तो ऐसी फिल्म को रूपये 50 लाख का अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जा सकेगा, जिसका निर्णय फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा लिया जायेगा।

10.1.4(b) मध्यप्रदेश की स्थानीय भाषाओं/बोलियों यथा बुंदेलखण्डी/मालवी/बघेलखण्डी/निमाड़ी एवं जनजातीय भाषाओं यथा भीली, गोंडी, कोरकू आदि में निर्मित फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी।

10.1.4(c) सकारात्मक बाल विषयों पर आधारित बाल फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी।

10.1.4(d) महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर निर्मित महिला केन्द्रित सकारात्मक सामाजिक फीचर फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 15 लाख तक होगी। ऐसी फिल्म के निर्माणकर्मी दल (Film Crew) में महिला फिल्मकारों की प्रधानता होने पर रुपये 25 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

10.1.4(e) मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की प्रसिद्ध हस्तियों पर आधारित फिल्मों को पात्रतानुसार 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 25 लाख तक होगी ।

10.1.4 (f) अन्य कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, कन्नड़ एवं मलयालम, बंगला, मराठी) में सिनेमा एक प्रमुख एवं प्रभावी उद्योग है, तथा वहॉ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में इन राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के दृष्टिगत इन राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं यथा - तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला एवं मराठी फिल्मों को कण्डिका 10.1 के सभी मापदण्डों को पूर्ण करने पर उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त वित्तीय अनुदान दिया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा की फिल्म को

इस कंडिका में शामिल किये जाने हेतु "फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ" अधिकृत होगा।

10.1.4 (g) यदि परियोजना की पात्रता कंडिका 10.1 के अंतर्गत एक से अधिक अतिरिक्त अनुदान श्रेणी के अन्तर्गत आती है, तो आवेदक किसी एक पात्रता श्रेणी का चयन कर अनुदान लाभ ले सकेगा।

10.1.5 कंडिका 10.1 एवं अन्य कंडिकाओं के लिए अनुदान की पात्रता तथा प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

10.2 टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदान: -

क्र.	अनुदान	मापदंड
1	रु. 50 लाख तक, या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25%, या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर
2	रु. 1.00 करोड़ तक, या टीवी धारावाहिक / शो की कुल लागत (COP) का 25%, या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर

10.2.1 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदको को प्रदान किया जावेगा, जो कि GEC (General Entertainment Channels) से विधिवत टेलीकास्ट शेड्यूल जारी कराकर प्रस्तुत करेगें।

10.3 OTT (Over The Top) प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरीजनल शो के लिए अनुदान:

क्र.	**अनुदान**	**मापदंड**
1	रु. 1.50 करोड़ तक, या वेब सीरीज/ओरीजनल शो की कुल लागत (COP) का 25%, या म.प्र. में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	वेब सीरीज/ओरीजनल शो के कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो।

10.3.1 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदको को प्रदान किया जावेगा, जो कि OTT (Over The Top) प्लेटफार्म से विधिवत टेलीकास्ट शिडयूल/रिलीज सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेगें।

वेब सीरिज/ओरीजनल शो के OTT (Over The Top) प्लेटफार्म शूटिंग से संबंधित गाइड लाईन समय-समय पर फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

चूंकि वर्तमान में OTT (Over The Top) प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणीकरण के मापदण्ड नहीं हैं। अत: फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ समिति इसकी स्क्रिप्ट सामग्री के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगी।

10.4 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान:

डॉक्यूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उददेश्य से मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्तशिल्प, धार्मिक पर्वो/उत्सवों, रहन-सहन/टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/इतिहास एवं कहानियों आदि पर मध्य प्रदेश में शूट की गई डॉक्यूमेन्ट्री को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जावेगा :-

10.4.1 राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रूपये 20 लाख तक, या कुल परियोजना लागत का 50% तक या मध्य प्रदेश में किये गए व्यय का 75%, जो भी कम हो।

10.4.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रूपये 40 लाख तक, या कुल परियोजना लागत का 50% तक या मध्य प्रदेश में किये गए व्यय का 75%, जो भी कम हो।

10.4.3 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत होने वाली डॉक्यूमेंट्री को 10.4.1 अंतर्गत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत होने वालीं डॉक्यूमेंट्री को 10.4.2 अंतर्गत अनुदान की पात्रता होगी। पुरुस्कृत

होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अनुदान आवेदन हेतु रिलीज़ किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।

10.5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म:

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं एवं प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फीचर फिल्मों/ वेबसीरीज/ओरिजनल शो/डॉक्युमेंट्री फिल्मों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर अनुदान हेतु स्वीकृत परियोजनाओं को म.प्र. में शूटिंग किए जाने पर निम्नानुसार वित्तीय अनुदान प्राप्त होंगे

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	अधिकतम 10 करोड़ रुपये, या म.प्र. में किए गए व्यय का 10%, जो भी कम हो	भारत सरकार से अनुमति/ अनुमोदन प्राप्त न्यूनतम 10 दिवस मध्यप्रदेश में शूट हो, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गयी हो।

10.6 मध्य प्रदेश में शूट होने वाली शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुदान:

अनुभवी एवं प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा प्रदेश से सम्बंधित विषयों यथा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वाइल्ड लाइफ, संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, धार्मिक पर्वो/उत्सवों, रहन-सहन/टेक्सटाइल, प्रदेश के लोगों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/ इतिहास, कहानियों एवं अन्य सकारात्मक सामाजिक विषयों पर बनाई गयी शॉर्ट फिल्मों को, जो कि मध्य प्रदेश में फिल्मांकित की गयी हो तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुई हो, को निम्नानुसार वित्तीय अनुदान प्राप्त होंगे:-

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	रूपये 15 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50%, या मध्यप्रदेश में किये गये व्यय का 75% तक, जो भी कम हो।	मध्य प्रदेश फिल्मांकित शॉर्ट फिल्म जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं अनुमोदित राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत हो

10.7 फीचर फिल्म शूटिंग / टी.वी. धारावाहिक / टी.वी.शो / वेब सीरीज / ओरिजनल शो, डॉक्यूमेन्ट्री / शॉर्ट फिल्म हेतु अनुमति शुल्क की प्रतिपूर्ति:

क्र.	अनुदान	मापदंड
1.	राज्य में भुगतान किए शूटिंग अनुमति के वास्तविक शुल्क का 75 % प्रतिपूर्ति	फीचर फिल्म / वेब सीरीज/ओरिजनल शो/ डॉक्यूमेन्ट्री/शॉर्ट फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों में से न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस मध्य प्रदेश में शूटिंग की गई हो। तथा टी.वी.धारावाहिक/टी.वी.शो के लिए मध्य प्रदेश में न्यूनतम 180 दिवस शूटिंग की गई हो।

उपरोक्त प्रतिपूर्ति अनुदान राज्य के भीतर के ASI, पुरातत्व, स्थानीय निकायों, पर्यटन विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य सभी राज्य / केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान / स्मारकों पर लगने वाले सभी प्रकार के अनुमति शुल्क पर प्राप्त हो सकेगा।

11. राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत सम्पूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से मध्य प्रदेश में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।

12. राज्य में किये गए शूटिंग दिनों की जानकारी के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका विवरण नीति के दिशा-निर्देशों में किया जायेगा।

13. फिल्म निर्माण की कुल लागत (COP) और मध्यप्रदेश में किए गए व्यय तथा कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन में प्रस्तुत की गयी है, का निर्णय आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

14. यदि फिल्म/वेबसीरीज/टी. वी. सीरियल/ओरिजनल शो के निर्माता द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर)/ डायरेक्टर / कोरियोग्राफर / सिनेमेटोग्राफर / आर्ट डॉयरेक्टर / कॉस्ट्यूम डिजायनर/ साउंड डिजायनर / म्यूजिशियन आदि मानव संसाधन को कार्य प्रदान किया जाता है, तो इस हेतु अतिरिक्त अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख अथवा संबंधितों को

वास्तविक भुगतान की राशि का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान राशि कंडिका 10 से प्राप्त अनुदान राशि से अतिरिक्त होगी तथा प्राप्तकर्ता कलाकारों को सीधे राशि भुगतान किये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी।

15. फीचर फिल्म संबंधी सभी अनुदान और प्रतिपूर्ति, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U अथवा UA7+/UA13+/UA16+ प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं फिल्म रिलीज होने पर दिये जायेगें। इसी प्रकार टीवी धारावाहिक/वेब सीरीज के लिए OTT द्वारा UA श्रेणीकरण किया गया हो। फीचर फिल्म के लिए न्यूनतम 200 स्क्रीन में फिल्म रिलीज होने अथवा सूचीबद्ध OTT चेनल में रिलीज़ को अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। इसी प्रकार स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं के लिए न्यूनतम 100 स्क्रीन में फिल्म रिलीज को अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण कंडिका क्रमांक 10.5 को छोड़कर कंडिका 10 के सभी अनुदान संबंधी विवरणों पर लागू होगा।

16. **आधारभूत अधोसंरचना का विकास:** - राज्य में फिल्म निर्माताओं एवं पर्यटकों की सुविधा एवं आसानी के लिये आधारभूत अधोसंरचना यथा सड़कें, परिवहन, वायुयान सम्पर्कता, रेल सम्पर्कता, पर्यटन स्थलों / शूटिंग स्थलों के करीब आवास सुविधा वृद्धि आदि के लिये राज्य सरकार यथा संभव प्रयास करेगी।

17. **सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास:** - फिल्मों के लिये आवश्यक सहयोगी सेवाऐं जैसें आवास, भोजन, आदि जो कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम से प्राप्त की गई हों, उन सेवा दरों पर प्रकाशित/निर्धारित दरों से 40% तक की छूट प्रदान की जावेगी।

18. **विशिष्ट आधारभूत अधोसंरचना सहायता:** - राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध हवाई पटि्टयों को निर्धारित शुल्क के साथ फिल्म निर्माताओं को उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

19. **फिल्म उपकरण इकाई स्थापना के लिए प्रोत्साहन:** - राज्य सरकार निजी निवेशक संस्थाओं को फिल्म निर्माण संबंधित उपकरण क्रय करने/आयात करने के लिये राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहित करेगी।

20. **भौतिक आधारभूत अधोसंरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:**

20.1 मध्य प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियो और फिल्म निर्माण के लिए स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान प्रदान किया जावेगा।
इसके अतिरिक्त फिल्म क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र और स्टार्ट-अप परियोजनाओं को भी पर्यटन नीति के प्रावधान अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

20.2 मध्य प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार "फिल्म स्टूडियों एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना" गतिविधियां बड़े / मेगा / अल्ट्रा - मेगा पर्यटन परियोजनाएं उनकी श्रेणी के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता के लिए पात्र होंगे
राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त अनुदान का क्लेम किया जा सकेगा। किंतु फिल्म निर्माण/टी.वी. धारावाहिक/शो निर्माण OTT प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाले वेब सीरीज/ओरिजनल शो निर्माण एवं डॉक्यूमेंट्री निर्माण आदि परियोजनाऐं इस प्रावधान के तहत नहीं आयेंगी।

21. **फिल्म सिटी:**

मध्य प्रदेश सरकार, राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास करेगी ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी / फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाकर क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार-- भूमि प्रदान करेगी तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रूप से सहयोग करेगी।

22. फिल्म स्टूडियो एवं लैब:

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म स्टूडियो और प्रोसेसिंग लैब की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देगी।

23. भूमि बैंक:

फिल्म पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार फिल्म उद्योग संबंधी अधोसंरचना की स्थापना के लिए पर्यटन भूमि बैंक से भूमि आवंटित की जा सकेगी। फिल्म, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए, निजी निवेश के माध्यम से विशेष क्षेत्र विकसित किये जाएँगे। यह भूमि बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा:

23.1 फिल्म संबंधी कौशल विकास केंद्र,

23.2 फिल्म संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र,

23.3 फिल्म स्टूडियो और लैब, पोस्ट प्रोडक्शन केन्द्र, VFX,

23.4 फिल्म सिटी,

23.5 इन्क्यूबेशन केंद्र,

23.6 स्टार्ट-अप प्रोजेक्ट।

24. फिल्म स्क्रीनिंग:

मध्य प्रदेश में मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल को सहयोग प्रदान करने और नये एकल सिनेमा हॉल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रावधान किये जाते हैं :-

24.1 सिंगल स्क्रीन सिनेमा:

राज्य सरकार एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में कम लागत वाले एकल स्क्रीन सिनेमाघरों की स्थापना के लिए किये गए पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान प्रदान करेगी। यह सुविधा किसी भी निकाय में इस नीति के तहत स्थापित किए जा रहे प्रथम 03 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों एवं 20 लाख के ऊपर आबादी वाले शहरों में प्रथम 06 नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए उपलब्ध होगी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास पर सब्सिडी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा
एकल स्क्रीन सिनेमाघर	रू. 50 लाख	25%	रू. 75 लाख

24.2 मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं अद्धतन् कार्य हेतु सहायता-

सिनेमा हॉल में फिल्म देखने को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीक को आधुनिक बनाना और उन्नत करना महत्वपूर्ण है। इस नीति के लागू होने के दिनांक से बंद हो चुके सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सिनेमाघरों से सम्बद्ध अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्राप्त करने में संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर सहायता दी जाएगी। मौजूदा एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल के उन्नयन पर राज्य सरकार निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करेगी:-

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा
सिनेमाघरों का उन्नयन	रू. 25 लाख	25%	रू. 50 लाख

* एकल स्क्रीन सिनेमाघर से आशय न्यूनतम 100 कुर्सी दक्षता वाले सिनेमा प्रदर्शन हॉल, बुकिंग विंडो, दर्शक सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों व पार्किंग व्यवस्था आदि में अनुमत्य व्यय से होगा।

25. **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:**

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिये फिल्म निर्माण की लागत को कम करने के लिए प्रदेश में ही आवश्यक कुशल मानव संसाधन एवं प्रशिक्षित तकनीशियन को उपलब्ध कराने के लिए क्षमता वृधि की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होगें। सिनेमा उद्योग से सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थाएं, कौशल केन्द्र और सिनेमा स्टार्ट-अप परियोजनाऐं,

राज्य की अद्यतन पर्यटन नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार निवेश प्रोत्साह सहायता हेतु पात्र होंगे।

25.1 निजी निवेश को प्रोत्साहन कर राज्य में फिल्म निर्माण संबंधी कौशल कें स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में फिल्म निर्माण, निर्देशन, उत्पादन, प्रकाः व्यवस्था, संपादन, कलर ग्रेडिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म वितरण और प्रदर्शनी एनीमेशन और ग्राफिक्स आदि के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे।

25.2 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रासंगिक फिल्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रयास किये जायेंगे । फिल्मों से संबंधित अद्धतन तकनीकों और पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी।

25.3 निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करके एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

25.4 विभिन्न फिल्मांकन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों से संबंधित विषयों पर सामयिक कार्यशाला/सेमीनार आदि को प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम भी प्रारंभ करने के प्रयास किये जायेंगे।

25.5 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के छात्रों को अध्ययन हेतु अधिकतम रुपये 50,000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। एक वर्ष में अधिकतम 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु नियम/शर्त/प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा।

26\. **राज्य सहयोग हेतु अर्हता:**

26.1 प्रत्येक प्रोडक्शन कम्पनी जो फिल्म पर्यटन नीति के तहत शूटिंग अनुमति/सहायता प्राप्त करेगी, उन्हें राज्य सरकार/पर्यटन विभाग को क्रेडिट अनिवार्यत: प्रदर्शित करना होगा।

26.2 राज्य शासन/पर्यटन विभाग का लोगो फिल्म / टी.वी. धारावाहिक / शो/ वेब-सीरीज / ओटीटी शो / डॉक्यूमेंट्री / शॉर्ट फिल्म को क्रेडिट लिस्ट में अनिवार्यत: प्रदर्शित करना होगा।

26.3 मध्य प्रदेश की अनुदान प्राप्त डॉक्यूमेंट्री / शॉर्ट फिल्म के गैर व्यवसायिक प्रदर्शन सम्बन्धी अधिकार अनिवार्यतः राज्य शासन/पर्यटन विभाग को देना होंगे।

27\. **नीति को लागू करना और वैधता अवधि:** फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) का क्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा तथा यह नीति लागू होने के दिनांक से आगामी 05 साल के लिए अथवा नवीन नीति जारी होने तक के लिए वैध होगी।

टीप: फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) के लागू होने के दिनांक से 06 माह की अधिकतम अवधि तक फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे ।

28\. **विवाद समाधान:** नीति क्रियान्वयन में किसी भी विवाद पर साधिकार समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

29\. **संशोधन:** फिल्म पर्यटन नीति 2020 (संशोधित 2025) के किसी भी प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण, एवं व्याख्या के लिए साधिकार समिति अधिकृत होगी।